रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-17022021-225209
CG-DL-W-17022021-225209

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 02] **नई दिल्ली, फरवरी 7— फरवरी 13 , 2021, शनिवार/ माघ 18— माघ 24, 1942**
No. 02] **NEW DELHI, FEBRUARY 7— FEBRUARY 13, 2021, SATURDAY/ MAGHA 18— MAGHA 24, 1942**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2021

का.नि.आ. 3.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय,भारतीय नौसेना में अनुवाद अधिकारी (रूसी/अंग्रेजी) समूह 'ख' भर्ती नियम 2006 और रक्षा मंत्रालय भारतीय नौसेना समूह 'क' राजपत्रित पद अनुवाद अधिकारी काडर (रूसी/अंग्रेजी) भर्ती नियम 2015, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) में संपादक अनुवादक (रूसी/अंग्रेजी), वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी (रूसी/अंग्रेजी) और अनुवाद अधिकारी (रूसी/अंग्रेजी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staffnews_in

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, नौसेना, अनुवाद अधिकारी काडर (रूसी/अंग्रेजी) (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2021 हैं।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ 4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पतिया जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हे लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. संपादक अनुवादक (रुसी/ अंग्रेजी), नौसेना।	05* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, अननुसचिवीय, राजपत्रित, समूह 'क'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (रु. 78800-209200).	चयन पद

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** सीधे भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staffnews_in

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: ऐसा वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी जिन्होंने वेतन स्तर -11(रु. 67700 -208700) में उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष नियमित सेवा की और उच्च प्रबंधन एवं कार्मिक प्रशासन अथवा मानव संसाधन के क्षेत्र में 2 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। **टिप्पण 1:-** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रह हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबन्ध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति**: केन्द्रीय सरकार के अधिकारी (क) (i)जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों। या (ii)जिन्होनें मूल संवर्ग या विभाग में, वेतन मैट्रिक्स में स्तर -11 (67700-208700रु) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो।	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्न से मिलकर बनेगी**:- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव (नौसेना) या अन्य संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय - सदस्य; 3. प्रधान निदेशक, सिविलियन कार्मिक , एकीकृत मुख्यालय,रक्षा मंत्रलाय (नौसेना) - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staffnews_in

आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रूसी भाषा में अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ रूसी भाषा में स्नातक की डिग्री एवं रूसी भाषा में दुभाषिया मानक का डिप्लोमा; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रूसी भाषा में परास्नातक की डिग्री; तथा (ii) तकनीकी आलेखों के रूसी से अंग्रेजी एवं विपर्येण अनुवाद में पाँच साल का अनुभव। **टिप्पण 1**:-पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2**:- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग मे इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी (रूसी/ अंग्रेजी)	10* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, अननुसचिवीय, राजपत्रित, समूह 'क'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (रु. 67700-208700)	चयन पद

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नतिन हो सकने पर प्रतिनियुक्ति

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staffnews_in

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: ऐसे अनुवादक अधिकारी (रूसी/अंग्रेजी) जिन्होंने वेतन स्तर -10 (रु. 56100 - 177500) वेतन मैट्रिक्स में उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो और सचिवीय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान या किसी अन्य संस्थान से मूलभूत प्रबंधन में दो सप्ताह का पाठ्यक्रम पूर्ण कर किया हो, जैसा कि सक्षम अधिकारी ने निर्धारित किया हो। और भारत में किसी संस्थान या देशी भाषाओं के विशेषज्ञों द्वारा आयोजित व्याख्या कौशल में सुधार हेतु 2 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित हो। **टिप्पण 1:-** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रह हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबन्ध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: ऐसे केन्द्रीय सरकार के अधिकारी (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों। या (ii) जिन्होनें वेतन मैट्रिक्स में स्तर -10 (56100-177500 रु.) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो । **आवश्यक:** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रूसी भाषा में अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ रूसी भाषा में स्नातक की डिग्री एवं रूसी भाषा में	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्न से मिलकर बनेगी:-** 1. संयुक्त सचिव (नौसेना), संयुक्त सचिव (स्थापना), -अध्यक्ष; 2. प्रधान निदेशक,सिविलियन कार्मिक , एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रलाय (नौसेना) - सदस्य; 3. निदेशक (गोदीवाड़ा),एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रलाय (नौसेना) - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staffnews_in

दुभाषिया मानक का डिप्लोमा; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रूसी भाषा में परास्नातक की डिग्री; तथा (ii) तकनीकी आलेखों के रूसी से अंग्रेजी एवं विपर्येण अनुवाद में तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग मे इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. अनुवाद अधिकारी (रूसी/ अंग्रेजी)	24* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, अननुसचिवीय, राजपत्रित, समूह 'क'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (रु. 56100-177500).	लागू नहीं होता

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक छूट)। आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	**शैक्षिक योग्यता :** (क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रूसी भाषा में अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ रूसी भाषा में स्नातक;एवं (ii) तकनीकी आलेखों के रूसी से अंग्रेजी एवं विपर्येण अनुवाद में दो वर्ष का अनुभव;या (ख)(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविधालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक ;	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती। **टिप्पणी:** पदाधिकारी प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश पर होने अथवा अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या अधिक की अवधि के लिए रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है जो: (क) (i)नियमित आधार पर सदर्श पद धारण करते हों या (ii)वेतन में मैट्रिक्स में स्तर-9 अथवा स्तर-8 में पदों में दो वर्ष

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staffnews_in

	एवं (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रूसी भाषा में डिप्लोमा या रूसी भाषा में दुभाषिया मानक ; एवं (iii)तकनीकी आलेखों के रूसी से अंग्रेजी एवं विपर्येण अनुवाद में दो वर्ष का अनुभव; या (ग)(i)किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रूसी भाषा में परास्नातक; एवं (ii) तकनीकी आलेखों के रूसी से अंग्रेजी एवं विपर्येण अनुवाद में एक वर्ष का अनुभव। **वांछनीय** **अर्हता**: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यांत्रिक या विधुत या संचार या उत्पादन में इंजीनियरिंग या प्रोद्योगिकी में स्नातक की डिग्री।			की नियमित सेवा; तथा (ख) स्तंभ (7) के तहत सीधे भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव रखते हो।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्न से मिलकर बनेगी**:- 1. संयुक्त सचिव (नौसेना) या अन्य संयुक्त सचिव (स्थापना), रक्षा मंत्रालय -अध्यक्ष; 2. निदेशक, सिविलियन कार्मिक , एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) - सदस्य; 3. संयुक्त निदेशक(गोदीवाड़ा), एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं.सी.पी(जी)/2603/आर आर/टी ओ (आर/ई)/39 /र.(नि.)/2021]

देवेन्द्र कुमार, अवर सचिव

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staffnews_in

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 8th February, 2021

S.R.O. 3 .—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Defence, Indian Navy Translation Officer (Russian/English) Group 'B' post recruitment Rules, 2006 and Ministry of Defence Indian Navy Group 'A' Gazetted Posts Translation Officers Cadre (Russian/English) Recruitment Rules, 2015 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Editor Translator (Russian/English), Senior Translation Officer (Russian/English) and Translation Officer (Russian/English) in the Ministry of Defence (Navy), namely :-

1. **Short Title and commencement.**– (1) These Rules may be called the Ministry of Defence, Navy, Translation Officers Cadre (Russian/English) (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and Level in pay matrix .–** The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached to the said posts shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc .–** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification .–**No person,-

(a) who has entered into, or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax .–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .–** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes, Ex-servicemen, other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether Selection post or non - selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Editor Translator (Russian/ English), Navy	05* (2021) *Subject to variation dependent on work load	**General Central Service** Non Ministerial Gazetted Group, A	Level 12 in the pay matrix (Rs 78800 – 209200)	Selection Post	Not applicable

Educational and other Qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees
(7)	**(8)**
Not applicable.	Not applicable

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staffnews_in

Period of Probation, if any.	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Promotion failing which by Deputation	**Promotion:** (i) Senior Translation Officer (Russian/English) in the Level– 11 (Rs. 67700–208700)in the pay matrix with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and having successfully completed two weeks Advanced Management and Personnel Administration or Human Resource Course. **Note:**Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government:- (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the following educational qualifications and experience :- (i) Bachelors degree in Russian Language with English as a compulsory or elective subject and Diploma in interpretership standard in Russian Language from a recognised University or Institute; or Masters Degree in Russian language from a recognised University or Institute; and (ii) Five years experience in translation of technical documents from Russian to English and vice-versa. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:**The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staffnews_in

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman; 2. Joint Secretary (Navy) or any other Joint Secretary, Ministry of Defence - Member; 3. Principal Director of Civilian Personnel or Director of Civilian Personnel, Integrated Headquarters Ministry of Defence (Navy)- Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Senior Translation Officer (Russian/English)	10* (2021) *Subject to variation dependent on work load	**General Central Service** Non Ministerial Gazetted Group, A	Level 11 in the pay matrix (Rs 67700 – 208700)	Selection Post

(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Promotion failing which by Deputation	**Promotion :-** (i) Translation Officer (Russian/English) in the Level-10 (Rs. 56100 – 177500) in the Pay Matrix with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and having successfully completed two weeks Basic Management Course at ISTM or other institute as prescribed by the competent authority and two weeks training for improving interpretation skills at Institute in India as prescribed by the competent authority or in-house to be conducted by visiting Native Language Experts. **Note:**Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government:- A) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix; and B) possessing the following educational qualifications and experience:-

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staffnews_in

		(i) Bachelors degree in Russian Language with English as a compulsory or elective subject and Diploma in interpretership standard in Russian Language from a recognised University or Institute; or Masters Degree in Russian language from a recognised University or Institute; and (ii) Three years experience in translation of technical documents from Russian to English and vice-versa. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.

(12)	**(13)**
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Joint Secretary (Navy) or Joint Secretary (Establishment) - Chairman; 2. Principal Director or Director of Civilian Personnel Integrated Headquarters Ministry of Defence (Navy) - Member; 3. Director of Dockyard Integrated Headquarters Ministry of Defence (Navy) - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
3. Translation Officer (Russian/ English)	24* (2021) *Subject to variation dependent on work load	**General Central Service** Non Ministerial Gazetted Group, A	Level 10 in the pay matrix (56100 – 177500)	Not Applicable

(6)	**(7)**	**(8)**
Not exceeding 35 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issue by Central Government.) The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	**Qualification:** (A) (i) Bachelors degree in Russian language with English as a compulsory or elective subject from a recognised University or Institute; and (ii) Two years experience in translation of technical documents from Russian to English and vice-versa ; or (B) (i) Bachelors degree in any subject from a recognised University or Institute; and (ii) Diploma in Russian language or in interpretership standard in Russian language from a recognised University or Institute; and	Not applicable

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staffnews_in

	(iii) Two years experiencein translation of technical documents from Russian to English and vice-Versa; or (C) (i) Masters degree in Russian language from a recognised University or Institute; and (ii) One year experience in translation of technical documents from Russian to English and vice-versa. **Desirable** **Qualification:**Bachelors degree in Engineering or Technology in Mechanical or Electrical or Telecommunication or Production Engineering from a recognised University or Institute.	

(9)	(10)	(11)
Two years	Direct Recruitment **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from Officers of Central Government. (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with two years regular service in posts in Level-9 or Level-8 in the pay matrix; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).	Not Applicable.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1.Joint Secretary (Navy) or Joint Secretary (Establishment), Ministry of Defence - Chairman; 2. Director of Civilian Personnel, Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) - Member; 3. Joint Director of Dockyard, Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. CP(G)/2603/RR/TO(R/E)/39/D(Apptts)/2021]

DEVENDRA KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staffnews_in